

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-01/12/2017

संख्या-1/क०रा०बी०यो०स्था० 08/16 श्र०सं०.....186...../कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय/  
कार्यालय में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत  
बिहार कोषागार संहिता के नियम-148 (पुराना) एवं 84 (नया) के प्रावधानों के आलोक  
निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित चिकित्सकों को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक  
स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यालय/चिकित्सालय का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित  
किया जाता है :-

क्र०	वर्तमान पदस्थापन सहित पदाधिकारी का नाम	कार्यालय/चिकित्सालय का नाम
1	2	3
1	डॉ० तृप्ति चौधरी, उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, मुख्यालय, पटना	क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय, पटना
2	डॉ० राम विनय प्रसाद, प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमाल रोड, पटना	क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय, मुजफ्फरपुर एवं मुजफ्फरपुर चिकित्सालय
3	डॉ० मणिपाल चौधरी, उपाधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाथीदह, पटना
4	डॉ० वीरेन्द्र कुमार ठाकुर, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमाल रोड, पटना	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहारशरीफ
5	डॉ० शशिशेखर सिंह, प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुंगेर	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, भागलपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*कामेश्वर प्रसाद*  
11/12/17  
(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

संख्या-1/क०रा०बी०यो०स्था० 08/16 श्र०सं०.....186...../ पटना, दिनांक-01/12/2017  
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/  
महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार,  
पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के  
आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार,  
पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी  
क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में  
नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी  
सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*कामेश्वर प्रसाद*  
11/12/17  
सरकार के उप सचिव।